



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

पत्र सं० : 887 / सी०जी०एम/उपाकालि/ T-1/

दिनांक:- 3.09.2007

विषय:- मोबाईल फोन के सम्बन्ध में निर्देश सं०1/07-08

महाप्रबन्धक (वितरण),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
मटवाल/कुमायूँ क्षेत्र,
देहरादून/उत्तराखण्ड।

प्रायः अनुभव किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों/ अधिकारियों से उनके विभागीय मोबाईल फोनों पर सम्पर्क करने पर उनके फोन बंद मिलते हैं या attend नहीं होते हैं जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क संभव नहीं हो पाता है। यह स्थिति कार्यरत में नितान्त आपत्तिजनक है।

अतः एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अधिकारी/ अधिकारिक विभाग द्वारा प्रदत्त मोबाईल फोनों को सदैव, यहां तक कि Battery Charge करने की स्थिति में भी, कार्यरत (on) रखेंगे। यदि अपरिहार्य कारणवश वे किसी समय फोन नहीं सुन सकते हैं तो उच्चाधिकारियों से प्राप्त miss calls का विलम्बतः आधे घंटे के अन्दर उत्तर देना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों/अधिकारियों से भी कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में इसे आदेशों की अवहेलना माना जायेगा।

(जगमोहन लाल)
मुख्य महाप्रबन्धक(आपरेशन)

पृष्ठासं० 887 /मु.प्र.आ/उपाकालि तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- समस्त उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०।
- 2- समस्त अधिशासी अगियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०।

(जगमोहन लाल)
मुख्य महाप्रबन्धक(आपरेशन)

पृष्ठासं० 887 /मु.प्र.आ/उपाकालि तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ प्रेषित है :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक,उपाकालि,ऊर्जा भवन,देहरादून।
- 2- निदेशक(गा०सं०)/निदेशक (वित्त), उपाकालि,ऊर्जा भवन, देहरादून।

(जगमोहन लाल)
मुख्य महाप्रबन्धक(आपरेशन)

R/F